Fourteenth Loksabha

Session : 5
Date : 12-08-2005

Participants : Rawat Prof. Rasa Singh

>

Title : Regarding reservation being provided in admission on the basis of religion in Aligarh Muslim University.

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक विशेा महत्वपूर्ण विाय की ओर सदन का ध्यान आकर्ति करना चाहता हूँ। शिक्षण संस्थानों में धार्मिक आधार पर आरक्षण असंवैधानिक और विनाशकारी है। जब से कांग्रेस के नेतृत्व में संप्रग सरकार बनी हैं, अल्पसंख्यकों के तुटिकरण का पुराना खेल शुरू हो गया है। कुछ ही समय पहले आन्ध्र प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा मुस्लिमों को नौकरियों में आरक्षण देना, मुस्लिम उलेमाओं के अखिल भारतीय सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा के मुस्लिमों को आरक्षण देने का आश्वासन, केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में मुस्लिम छात्रों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की घोाणा करना, ये सभी देश को एक और विभाजन की ओर बढ़ाने वाले विघटनकारी कदम हैं।

महोदय, जब वर्ा 1947 में हिन्दुस्तान आजाद हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृहमंत्री थे। उनकी अध्यक्षता में एक संविधान परामर्शदात्री समिति बनी थी। उस समिति ने कहा था कि साम्प्रदायिक आधार आरक्षण की मांग को पूर्णतया अस्वीकृत कर देना चाहिए। पं0 ज वाहर लाल नेहरू, जो हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता के सबसे बड़े प्रतीक थे और हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस समिति में बैठक में कहा था कि यह रास्ता मूर्खतापूर्ण ही नहीं वरन विनाशकारी भी है। परन्तु खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि वापस तुटिकरण की नीति पर चलकर शिक्षण संस्थानों में 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना असंवैधानिक और देश के लिए घातक है।

महोदय, एएमयू में धार्मिक आधार पर आरक्षण देने से मुस्लिम समाज का भी कोई भला होने वाला नहीं है क्योंकि वहां 80 प्रतिशत छात्र मुस्लिम समाज से ही होते हैं। ऐसे में 50 प्रतिशत आरक्षण का क्या मतलब है? वहां 25 प्रतिशत आरक्षण पहले ही उन छात्रों को दिया जाता है जो वहां से स्नातक पास करते हैं। यह गंभीर चिंता का विाय है कि आज के वैश्विक प्रतियोगिता के दौर में कौन सी कंपनी एएमयू के छात्रों को योग्य समझेगी, जहां के 75 प्रतिशत छात्र आरक्षण की बैसाखी के सहारे पास होते हैं। यह केंद्रीय विश्वविद्यालय है और यहां सारा पैसा केंद्र सरकार दे रही है, इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि एएमयू में जो धार्मिक आधार पर आरक्षण दिया गया है, वह असंवैधानिक और अलगाववादी कदम है। इसे वापिस लिया जाए और मुस्लिम समाज को मेन स्ट्रीम में लाया जाना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भेद मिटाया जाना चाहिए। नेशनल माइनोरिटी कमीशन द्वारा यह जो सूचीबद्धता का क्रम चल रहा है, यह कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए एएमयू में धार्मिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था अनुचित है, इसे वापस लिया जाए।